अपील सूचना अधिकार संख्या 20/2019 (RCMS 2019/00065) अनवान् राधेश्याम गोयल पुत्र भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर(पो.ऑ. नं. 41एफ/170903) बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

10.02.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवालोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर पर शास्ति अधिरोपित करने, प्रार्थी को हर्जाना दिलवाने एवं बिन्दुवार सूचना दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाओं बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस अपील पत्र के साथ पेश नहीं किया गया है, जिससे यह ज्ञात नहीं होता है कि अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के द्वारा क्या क्या सूचनाएं चाही थी?

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगांगनगर ने अपने पत्रांक 4434 दिनांक 11.03.2019 से अवगत करवाया है कि सहायक औद्यधि नियंत्रक श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई./ए.डी.सी./एस.जी.एन.आर./2019/1605–1606 दिनांक 21.01.2019 से निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आवेदन श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक 336–43 दिनांक 19.01.2019 से प्राप्त हुआ। आवेदन का अवलोकन करने पर बिन्दु संख्या 7, 10, 11, 12, 13 व 14 का जवाब आंशिक रूप से इस कार्यालय से सम्बन्धित होने पर औषधि नियन्त्रण अधिकारियों से जवाब चाह गया जो कि निम्नानुसार है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

1. यह कि बिन्दु संख्या 07 के संदर्भ में नशा करने वाले व्यक्तियों द्वारा निम्न घटक युक्त फोर्मुलेशन्स औषधियों का मुख्य तौर पर नशे में दुरूपयोग किया जाता है। यथा (1) Codeine (2) Diphenoxylate (3) Pentazocine (4) Buprenorphine (5) Chlordiaxepoxide (6) Notrazepam (7) Diaxepam (8) Alprazolam (9) Clonaxepam (10) Tramadol नशे में प्रयोग हो सकने वाली अन्य वस्तुओं की सूचना इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।
2. यह कि बिन्दु संख्या 10 के संदर्भ में पिछले 4–5 वर्षो से औषधि विभाग द्वारा जिन गांवों में पीएचसी/सीएचसी नहीं है उन गांवों में पैरा संख्या 01 में अंकित औषधियों की अनुमति के बिना ड्रग लाईसेन्स जारी किये जा रहे है, तथा विभिन्न कार्यवाहियों पर भी उक्त प्रकार की औषधियों की अनुमति ड्रग लाईसेन्सों से वापिस ली जा रही है व कई फर्म मालिकों द्वारा स्वेच्छा से भी उक्त औषधि के बिना ड्रग लाईसेन्स विभाग से प्राप्त किये गये है, जिनकी अलग से कोई सूची संधारित नहीं है। अतः उक्त प्रकार की फर्मो को छोड़कर शेष समस्त औषधि अनुज्ञापत्र–धारियों को पैरा संख्या 01 में अंकित औषधियों के वैद्य क्रय–विक्रय की अनुमति विभाग द्वारा प्रदान की गई है।
3. यह कि बिन्दु संख्या 11 के संदर्भ में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व नियमावली 1945 के नियम 65 में अंकित लाईसेन्सों की शर्तों की पालना जांच दौरान सुनिश्चित की जाती है।
4. यह कि बिन्दु संख्या 12 के संदर्भ में ड्रग इंस्पैक्टर द्वारा किसी भी फर्म को कोई हस्तलिखित प्रमाण –पत्र जारी नहीं किया जाता है अतः यह सूचना संधारित नहीं है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

5. यह कि बिन्दु संख्या 13 में चाही गई सूचना में ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा निरीक्षण दौरान पाई गई कमियों की रिपोर्टस फर्मा की विभिन्न पत्रावलियों में संधारित निरीक्षण रिपोर्टस के अनुसार है, फर्म विशेष की निरीक्षण रिपोर्ट चाहे जाने पर निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति दी जा सकती है।
6. यह कि बिन्दु संख्या 14 में चाही गई सूचना में आवेदन के पैरा 07 में दिये गये जवाब के साल्टस के विभिन्न ब्राण्ड के नाम की औषधियॉ हो सकती है।

-sd-
जन सूचना अधिकारी
एवं सहायक औषधि नियन्त्रक
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी को जन सूचना अधिकारी एवं सहायक औषधि नियन्त्रक, श्रीगंगानगर के उक्त प्रतिवेदन के द्वारा बिन्दु संख्या 7, 10, 11, 12, 13 एवं 14 की सूचनाएं उपलब्ध करवाई जा चुकी है। शेष सूचनाएं प्रार्थना पत्र धारा 6(1) की प्रति अपील पत्र के साथ शामिल नहीं होने से ज्ञात नहीं होता है कि शेष सूचनाएं दिये जाने योग्य है या नहीं? अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि यदि बिन्दु संख्या 1 से 6, 8 एवं 9 की सूचनाएं यदि उसके प्रार्थना पत्र धारा 6(1) के तहत देय हो तो उसे 10 दिवस में उपलब्ध करवा देवें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर